न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र थानसिंह जी, जाति-राजपूत, निवासी- सगालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्रीमती प्रकाशकुंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंहजी, जाति- राजपूत, निवासी- सगालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. कुलदीपसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंहजी, जाति- राजपूत, निवासी- सगालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, अन्दौर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र भगवतसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- सगालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. श्री महेन्द्र गहलोत पुत्र खीमाराम जी, जाति- माली, निवासी- सुमेरपुर, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 71/2021

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से
4. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या-4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 29 सितम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 02.12.2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 10 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार एवं अप्रार्थी संख्या-2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित हुये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या-3 उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के अधिवक्ता ने [illegible]या-1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं [illegible] ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा दिनांक 02.12.2020 को नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को निरस्त करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 10 पारित करने में कानूनन भूल की गई है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने के बाद उसी नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत को खारिज करने का प्रस्ताव पारित करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 को पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया है एवं न ही प्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। यह कि जब नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उस समय किसी प्रकार का कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन नही था एवं न ही उक्त भूमि के संबंध में किसी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभाव में था। अन्यथा भी ग्राम पंचायत को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई कृषि भूमि का नामानतरकरण दायर करने का विधि में अधिकार है। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 183 की 1/9 वें हिस्से की कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से अप्रार्थी संख्या-3 महेन्द्र गहलोत से खरीद कर उक्त कृषि भूमि का कब्जा भौतिक रुप से एवं कानूनी रुप से प्राप्त किया है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि खरीद करने के बाद तथा ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को स्वीकृत करने के बाद प्रश्नगत कृषि भूमि के विभाजन का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यह कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को अस्वीकृत किये जाने का जो कारण व आधार ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 में दर्शाया है वह किसी भी रुप से विधि सम्मत नही है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि जितेन्द्रसिंह स्वयं ने प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार उदयसिंह से उसके 1/9 हिस्से की कृषि भूमि में से करीब एक बीघा भूमि को खरीद किया है एवं उसका नामान्तरकरण ग्राम पंचायत, अन्दौर ने जितेन्द्रसिंह के हक में पारित किया है। यह कि जितेन्द्रसिंह जो कि ग्राम पंचायत, अन्दौर के उप सरपंच है वो प्रार्थीगण से रंजिश रखते है, इसलिये प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से बदनियतिपूर्वक प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 को प्रार्थीगण के विरुद्ध पारित करवाया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री परमार ने ग्राम पंचायत, अन्दौर की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि श्री जितेन्द्र सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दस्तावेज सहित सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भूमि के नामान्तरकरण से पूर्व में व मौके पर कब्जे का विवाद व बंटवाड का दावा एस.डी.एम. कोर्ट शिवगंज में विचाराधीन है व पंचायत की पिछली बैठक में उपस्थित नही होने से पंचायत को उक्त भूमि के संबंध में [illegible] थी। ग्राम पंचायत द्वारा जांच करने पर मौके पर खरीददार व विक्रेता [illegible] नही होना पाया गया था। यह कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की [illegible] के तहत किसी भी

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायती राज संस्था का कोई भी संकल्प उसके पारित किये जाने के बाद 6 माह के भीतर भीतर किसी सामान्य या विशेष बैठक में सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून द्वारा पारित किसी संकल्प के सिवाय उपान्तरित या रद्द नही किया जायेगा। इस प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत उक्त विवादास्पद नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियत समय 6 माह के भीतर भीतर उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण निरस्त किया है जो सही है। साथ ही, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 व 84 के अनुसार विवादित नामानतरकरण के संबंध में ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकारिता नही है। पंचायत सामान्य बैठक दिनांक 02.12.2020 में सदन में सदस्यों की संख्या 9 थी जो कि राजस्थान पंचायजी राज अधिनियम, 1994 के नियम 48 के उप नियम 5 के अनुसार दो तिहाई से अधिक (9 सदस्य व अध्यक्ष सरपंच) की उपस्थिति में प्रस्ताव संख्या-02 बिन्दु संख्या 11 दिनांक 06.10.2020 को निरस्त करने का प्रस्ताव पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर अनुमोदित किया गया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि मोके की स्थिति व उक्त खसरान के संबंध में वाद विचाराधीन होने से उक्त नामान्तरकरण विवादास्पद था तथा विवादास्पद नामान्तरकरण स्वीकृत करेन का अधिकार पंचायत को नही है, इसका स्पष्ट उल्लेख राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 व 84 में किया हुआ है, इसलिये ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 विधि सम्मत होने से निरस्त योग्य नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत अन्दौर द्वारा सही व विधि अनुरूप प्रस्ताव लेकर नामान्तरकरण संख्या 939 को खारिज किया है। प्रार्थीगण ने तथ्यो को छुपाते हुए अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने का आवेदन दिया था। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या-3 महेद्र गेहलोत से क्रय की है परन्तु वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो महेद्र गेहलोत का व न ही प्रार्थीगण का वर्तमान में या पूर्व में कभी कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह वादग्रस्त कृषि भूमि का सहखातेदार है एवं प्रार्थीगण अजनबी केता है और उन्हें उक्त कृषि भूमि का विभाजन करवाये बिना वादग्रस्त कृषि भूमि में कय करने या कब्जा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या- 2 को नामान्तरकरण संख्या 939 के स्वीकृत होने की जानकारी होने पर अप्रार्थी जितेद्रसिंह ने एक प्रर्थना पत्र मय दस्तावेज सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन का वाद उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) न्यायालय, शिवगंज में विचाराधीन है जिससे स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 939 को निरस्त किया जावे। जिस पर ग्राम पंचायत अन्दौर द्वारा नियमानुसार पंचायत बैठक आहूत कर दिनांक 02.12.2020 को सदन में 9 सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 10 पारित कर पूर्व में पारित प्रस्ताव संख्या 02 बिन्दु संख्या 11 दिनांक 06.10.2020 को निरस्त किया गया है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत को मुगालते में रखकर वास्तविक तथ्य [illegible] हुए नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को स्वीकृत [illegible] है तत्पश्चात् ग्राम

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को वास्तविक तथ्यों व विचाराधीन वाद की जानकारी होने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 48 (5) के तहत ग्राम पंचायत ने उक्त विवादास्पद नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियत समय 6 माह के भीतर भीतर उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण संख्या 939 को निरस्त किया है जो विधि अनुरूप है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 48(5) के तहत किसी भी पंचायती राज संस्था का कोई भी संकल्प उसके द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् 06 माह के भीतर भीतर किसी सामान्य या विशेष बैठक में सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून द्वारा पारित किसी संकल्प के सिवाय उपान्तरित या रद नहीं किया जायेगा। इस प्रवधान के तहत ग्राम पंचायत उक्त विवादास्पद नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियत समय 6 माह के भीतर भीतर उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण संख्या 939 को निरस्त किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2015 DNJ(Revenue) 210 व 2021(1)DNJ (REVENUE) 672 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 व 84 के अनुसार विवादित नामान्तरकरण के संबंध में ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकारिता नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य बताते हुए ग्राम पंचायत से नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया था ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त करते समय प्रार्थीगण को सुना जाना आवश्यक नहीं हैं। यह कि प्रार्थीगण द्वारा जिस समय कृषि भूमि क्रय की गई थी उसके पूर्व से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में राजस्व वाद सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) न्यायालय शिवगंज में लम्बित था। विवादित भूमि पर न तो विक्रेता महेद्र गेहलोत का व न ही क्रेता प्रार्थीगण का आज तक कभी कब्जा रहा है। अप्रार्थी जितेन्द्रसिंह वादग्रस्त कृषि भूमि का सहखातेदार है एवं प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या-2 से रंजिश रखते हैं, अप्रार्थी संख्या-2 ने किसी भी रूप में अपने पद का कोई दुरुपयोग नहीं किया है बल्कि ग्राम पंचायत अन्दौर द्वारा विधिसम्मत प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण संख्या 939 को निरस्त किया है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव अपीलीय आदेश है जिसके विरुद्ध नियमानुसार पंचायत समिति में अपील का प्रावधान है जबकि प्रार्थीगण ने उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 02.12.2020 में प्रस्ताव संख्या 10 पारित कर इस आशय का निर्णय लिया है कि नामान्तरकरण संख्या 939 पंचायत बैठक दिनांक 06.10.2020 के प्रस्ताव संख्या-2 के बिन्दु संख्या 11 का खातेदारी भूमि का विवाद न्यायालय में चलने से अस्वीकृत किया जाये, इसलिये सहवन से प्रस्ताव संख्या 2 के बिन्दु संख्या 11 का न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का ज्ञान नही होने से स्वीकृत किया गया, जिसे अस्वीकृत माना जाये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह जी राजपूत,

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निवासी- सगालिया ने दिनांक 14.11.2020 को सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसके व महेन्द्र गहलोत की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 रकबा 44.02 बीघा जो ग्राम सगालिया में आई हुई है उसके बंटवाड का दावा एस.डी.एम. कोर्ट, शिवगंज में चल रहा है व उक्त भूमि तरमीम शुदा नही है जिसका मौके पर महेन्द्र गहलोत का कब्जा भी नही है फिर भी उक्त भूमि को सुरेन्द्र सिंह को बेचान कर दी है जिसका पंचायत, अन्दौर ने बिना जानकारी के नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, इसलिये उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जावे। अप्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र भगवत सिंह जी राजपूत, निवासी- सागलिया ने सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2020 के संलग्न सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज में विचाराधीन राजस्व संख्या 38/2018 अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान महेन्द्र गेहलोत बनाम प्रतापसिंह व अन्य से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये। जिस पर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 02.12.2020 में प्रस्ताव संख्या 10 पारित कर नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को खारिज करने का निर्णय लिया है।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को ग्राम पंचायत, अन्दौर की बैठक दिनांक 06.10.2020 में प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा निर्णय पारित कर स्वीकृत कर दिया था। ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को स्वीकृत करने के बाद ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पुनः उसी नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 को खारिज करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 के संबंध में कोई आपत्ति है तो संबंधित व्यक्ति द्वारा नामान्तरकरण संख्या 939 दिनांक 06.10.2020 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती है अथवा ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.10.2020 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 विधि सम्मत नही है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 02.12.2020 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested